



**प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.17 को आयोजित
परियोजना समासोधन समिति (पी.सी.सी.) की बैठक
की कार्यवाही**

उपरिस्थिति:-

1. श्री आर.एस. श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बियाडा।
2. श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशक के प्रतिनिधि।
3. श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग के प्रतिनिधि।
4. श्री जी.पी.सिंह, बिहार इण्ड. एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।
5. महासचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज, पटना।
6. श्री एस.पी. सिन्हा, अध्यक्ष, सी.आई.आई., पटना।
7. श्री एस.पी.राय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के प्रतिनिधि।
8. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना एवं मुजफ्फरपुर।
9. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा एवं भागलपुर।

कार्यवाही

1. पी.सी.सी. की बैठक दिनांक 14.07.17 के कार्यवाही की कंडिका 7 में अंक प्रदान करने की पद्धति निर्धारित की गई है। समिति द्वारा समीक्षोपरांत अंक प्रदान करने की पद्धति को निम्नांकित प्रकार से और युक्ति संगत बनाने हेतु का निर्णय लिया गया:-

क) कुल निवेश के आकार में मात्र Land, Building, Plant & Machinery, Margin Money for Working Capital, Other Fixed Assets & Pre-Operative Expences को शामिल किया जायेगा।

ख) Debt के रूप में मात्र टर्म लोन की गणना की जायेगी।

2. बियाडा द्वारा भूआवंटन हेतु पहली बार ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित किया गया। ऑन-लाईन आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 26.09.17 तक कुल 71 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में कई ऐसे आवेदन हैं, जिनके द्वारा आवेदन में भरी गई सूचनाएँ, अपलोड किए गए कागजात से भिन्न हैं। अतएव, ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत निम्नांकित निदेश दिए गए:-

क) अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले ऑन-लाईन आवेदनों को स्कूटनी समिति द्वारा जाँच के उपरांत, यदि किसी प्रकार की त्रुटि/कागजात की कमी होगी, तो आवेदक को एक अवसर देते हुए 5 कार्य दिवस के अन्दर उसका निराकरण करने हेतु सूचित किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा निर्धारित समय में त्रुटि निराकरण कर दिया जाता

- है, तो उनके आवेदन को पी.सी.सी. के समक्ष रखा जायेगा, अन्यथा वैसे आवेदनों की अलग से सूची बनाकर पी.सी.सी. के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।
3. उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में की गई अनुशंसा भविष्य में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होगी।
 4. प्राप्त आवेदनों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन में काफी त्रुटियाँ हैं। साथ ही भूआवंटन हेतु जिन-जिन बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है, अधिकांश प्रतिवेदनों में उसका उल्लेख नहीं है। अतएव, सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि उद्यमियों की सहूलियत हेतु भूआवंटन से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए पर्याप्त संख्या में कंसल्टेंट को सूचीबद्ध किया जाये, जिससे इच्छुक आवेदक सूचीबद्ध कंसल्टेंट से अपनी परियोजना प्रतिवेदन बनावा सकेंगे। सूचीबद्ध कंसल्टेंट द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने पर पी.सी.सी. को जाँच करने में सहूलियत होगी।
 5. पी.सी.सी. द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुक्ष्म प्रक्षेत्र के उद्योगों के लिए 5000 वर्गफीट से अधिक भूमि का आवंटन नहीं किया जाये।
 6. औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग में भूआवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को पहुँच पथ नहीं होने के कारण, दिनांक 15.02.16, 07.05.16 एवं 08.06.16 की पी.सी.सी. बैठक में उसे लंबित रखने का निर्णय लिया गया था। चूँकि अबतक कुमारबाग में पहुँचपथ के समस्या का समाधान नहीं हो सका है एवं अब भूआवंटन हेतु ऑन-लाईन आवेदन लिए जा रहे हैं, अतएव, पूर्व के सभी लंबित 80 आवेदनों को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई, अग्रधन एवं प्रक्रिया शुल्क को वापस करने का निर्णय लिया गया।
 7. सर्वश्री अम्बे फास्टनर्स प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्रा:- इकाई को सर्वश्री पानागढ़ इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा० लि० की 24415 वर्गफीट भूमि पारिवारिक एकरारनामा के तहत हस्तानांतरित की गई है। इकाई द्वारा IT Park & ITes की परियोजना परिवर्तन हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इकाई को IT Park & ITes की परियोजना परिवर्तन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालय पटना

8. सर्वश्री राज इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र औरंगाबाद:- इनके द्वारा प्लेट, ग्लास, दोना बाउल उद्योग इकाई के स्थापना हेतु प्लॉट नं० C-6, रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन के साथ अपलोड किया गया, परियोजना प्रतिवेदन मात्र एक पेज में था, जिसमें



परियोजना लागत, प्लांट मशीनरी, रोजगार सृजन आदि के संबंध में विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध नहीं थी।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

9. **सर्वश्री एकलव्य प्रा० आई० टी० आई०, विकास केन्द्र औरंगाबाद:-** इनके द्वारा ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना हेतु प्लॉट नं० A-17, रकवा 5,000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। इनका आवेदन सेवा प्रक्षेत्र (Service Sector) के लिए है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10. **सर्वश्री डी० राजेन्द्र एण्ड कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र बरौनी:-** इनके द्वारा कॉर्न, सेरल्स एण्ड पोटेटो चिप्स उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 72P, रकवा 8712 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन के साथ अपलोड किया गया, परियोजना प्रतिवेदन मात्र एक पेज में था, जिसमें परियोजना लागत, प्लांट मशीनरी, रोजगार सृजन आदि के संबंध में विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध नहीं थी।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

11. **सर्वश्री कुमार फूड प्रोसेसिंग, औद्योगिक क्षेत्र बरौनी:-** इनके द्वारा सत्तू एवं बेसन उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 72P, रकवा 8712 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

12. **सर्वश्री विष्णु इलेक्ट्रो होमियो इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बरौनी:-** इनके द्वारा इलेक्ट्रो होमियोपैथी मेडिसिन उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 44P, रकवा 5445 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।



निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

13. **सर्वश्री एस०डी० प्लास्टिक पी०भी०सी० औद्योगिक क्षेत्र बरौनी:-** इनके द्वारा प्लास्टिक पी०भी०सी० उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 44P रकवा 5445 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

14. **सर्वश्री राकेश कुमार सिंह राईस मिल, औद्योगिक क्षेत्र बरौनी:-** इनके द्वारा राईस भूसी, ब्रान उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 72P, रकवा 8712 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनकी प्रस्तावित परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 0.8 TPD है, जो कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, में निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

15. **सर्वश्री अमृता इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र बारूण:-** इनके द्वारा प्लाटीक मग, सुप, बाल्टी उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० Shed C-1, C-2 रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

16. **सर्वश्री शिव गंगा इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र बारूण:-** इनके द्वारा आईसक्रीम उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० Shed B-3, B-4 रकवा 4000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।



17. सर्वश्री ममता इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र बिहार शरीफ:- इनके द्वारा स्पाईसेज उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० Shed A-4 रकवा 2500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के तहत इन्हें कुल 61 अंक प्राप्त हुए।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत औद्योगिक क्षेत्र बिहारशरीफ में Shed A-4 रकवा 2500 वर्गफीट आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

18. सर्वश्री श्री साई इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र बिहार शरीफ:- इनके द्वारा डिस्पोजवल पेपर प्लेट, कप उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० NP-4 रकवा 1350 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

19. सर्वश्री नवभारत इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र डेहरी ऑन सोन:- इनके द्वारा डिटर्जेंट पाउडर, सोप उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० F-1, F-2 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

20. सर्वश्री अमन धरमकॉटा, औद्योगिक क्षेत्र डेहरी ऑन सोन:- इनके द्वारा धरम कॉटा की स्थापना हेतु प्लॉट नं० NS-14 (P-5) रकवा 2000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। इनकी परियोजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, में निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

21. सर्वश्री राही एग्रो फूड, औद्योगिक क्षेत्र डेहरी ऑन सोन:- इनके द्वारा राईस ब्रान, ब्रोकन राईस, हस्क की उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० A-6 (P) रकवा 1250 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है।



ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

22. **सर्वश्री क्वांटम क्रॉप केयर औद्योगिक क्षेत्र फतुहा:-** इनके द्वारा मस्टर्ड ऑयल उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० F-12 (Phase-3) रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

23. **सर्वश्री हर्ष इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र फतुहा:-** इनके द्वारा स्पार्स/मसाला उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० K-6(P) (Phase-3) रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

24. **सर्वश्री हिमगंगा इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र फतुहा:-** इनके द्वारा पी०भी०सी० पाईप उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० P-7 (Phase-2) रकवा 7500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के तहत इन्हें कुल 61 अंक प्राप्त हुए।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत औद्योगिक क्षेत्र फतुहा में P-7 रकवा 7500 वर्गफीट आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

25. **श्री विवेक कुमार, विकास केन्द्र गिद्धा :-** इनके द्वारा उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० F-10 रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन के साथ परियोजना प्रतिवेदन, नेटवर्थ, ले-आउट प्लान, एम. ओ.ए. आदि अपलोड नहीं की गई हैं।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।



26. सर्वश्री ऑर्चर्ड प्रोफाईल प्रा० लि०, विकास केन्द्र गिद्धा:- इनके द्वारा यु०पी०भी०सी० विन्डो प्रोफाईल उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० D-16 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।
निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
27. सर्वश्री स्कील हब विकास केन्द्र गिद्धा:- इनके द्वारा स्कील डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-6 रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। इनका आवेदन सेवा प्रक्षेत्र (Service Sector) के लिए है।
निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
28. सर्वश्री एस० एस० एफ० इंडस्ट्रीज लि०, ईपीआईपी हाजीपुर:- इनके द्वारा फैलेक्सीवल पॉली यूरेथीन उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० F-6 (P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। आवेदन के पत्र दिनांक 26.09.17 द्वारा ऑन-लाईन आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
29. सर्वश्री अस्मीत एग्रो प्रोडक्ट्स, हाजीपुर ईपीआईपी:- इनके द्वारा पास्ता नुडल्स एवं वर्मी सेली की स्थापना हेतु प्लॉट नं० F-6 (P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन-आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्यमी को कुल 79 अंक प्राप्त हुए, जो हाजीपुर के लिए निर्धारित न्यूनतम 90 अंक से कम है।
निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
30. सर्वश्री अलाईन्स मेडिकल डिवाइसेज, ईपीआईपी हाजीपुर:- इनके द्वारा मेडिकल डिवाइसेज उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० D-3(P) रकवा 22489 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। इकाई को भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार कुल 91 अंक प्राप्त हुए। समिति



द्वारा पाया गया कि इनके द्वारा आवेदित प्लॉट के नीचे से औद्योगिक क्षेत्र के नाला का पाईप गुजर रहा है, जिसके कारण उसपर वृहत निर्माण करना उचित नहीं होगा। अतएव, उक्त भूमि को आधारभूत संरचना के लिए ही सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय:- अतः समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

31. **सर्वश्री ओम साई हैचरी एण्ड फीड इंडस्ट्रीज, ईपीआईपी हाजीपुर:-** इनके द्वारा पोल्ट्री फीड एंवम हैचरी उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० F-6 (P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई। साथ ही अपलोड की गई परियोजना प्रतिवेदन, नेटवर्थ सर्टिफिकेट दूसरे इकाई के नाम से पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

32. **सर्वश्री एस० एस० एफ० इंडस्ट्रीज लि०, ईपीआईपी हाजीपुर:-** इनके द्वारा फैलेक्सीवल पॉली यूरेथीन उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० F-6 (P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के आवेदक को कुल 90 अंक प्राप्त हुए। साथ ही यह भी बताया गया कि पूर्व से भी इनकी इकाई है, जो काफी समय से उत्पादन में है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें ई.पी.आई.पी. हाजीपुर में प्लॉट नं० F-6 (P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

33. **सर्वश्री गणेश एग्रो इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर:-** इनके द्वारा मेज मीलिंग (प्रोसेसिंग) प्लांट की स्थापना हेतु प्लॉट नं० D-66, D-67, D-68, C-75, C-76 रकवा 24000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन हेतु निर्धारित प्रावधान के अनुसार, इकाई को कुल 78 अंक प्राप्त हुए जो हाजीपुर में भूआवंटन हेतु निर्धारित न्यूनतम 90 अंक से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

34. **सर्वश्री तान्या बैट्री सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर:-** इनके द्वारा बैट्री मैनुफैक्चरींग युनिट, ऑटो मोवाइल बैट्री उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० NS(P) रकवा 3500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है।



ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

35. सर्वश्री एसपिक रियल स्नैक्स प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, जहानाबाद:- इनके द्वारा स्नैक्स एण्ड नमकीन उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० C-5, C-6 (Shed) रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन-आवेदन किया गया है। इनके द्वारा अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, भूमि की दर परियोजना लागत से भी अधिक दर्शायी गई है, जो कि किसी भी परियोजना के लिए Viable नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

36. सर्वश्री माँ अन्नपूर्णा इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र, जहानाबाद:- इनके द्वारा आटा एवं चोकर उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० C-9 (Shed), C-10 (Shed) रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन हेतु निर्धारित प्रावधान के अनुसार, इन्हें कुल 31 अंक प्राप्त हुए हैं, जो आवंटन हेतु निर्धारित न्यूनतम 60 अंक से कम है। साथ ही इनकी प्रस्तावित परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 8TPD है, जो कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

37. सर्वश्री भूषण इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा:- इनके द्वारा प्लास्टिक कैप एक्सट्रूजन प्लांट की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-8 (P) रकवा 3500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। इनका नेटवर्थ परियोजना लागत के 20% से कम पाया गया, जो कि आवंटन हेतु निर्धारित पूर्व अहर्ता (Pre Qualification Criteria) को पूरा नहीं करता है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।



क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर

38. **सर्वश्री लाईफ केयर फार्मास्यूटीकल औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा आई०वी० प्लू एवं आई० वी० सेट की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-12 & B-13(P) रकवा 48530 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनकी कुल परियोजना लागत रू० 50.00 करोड़ से अधिक है एवं भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 66 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में प्लॉट नं० B-12 & B-13(P) रकवा 48530 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

39. **सर्वश्री महाराष्ट्र फीड्स प्रा० लि० औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा पॉल्ट्री एवं कैटल फीड उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० A-32(P) रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, इन्हें कुल 60 अंक प्राप्त हुए।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में प्लॉट नं० A-32(P) रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

40. **सर्वश्री स्टीलको उषा किरण पाईप औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा पी० भी० सी० रीजीड पाईप की स्थापना हेतु प्लॉट नं० D-12 & D-13, रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, इन्हें कुल 64 अंक प्राप्त हुए।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में प्लॉट नं० D-12 & D-13 रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

41. **सर्वश्री लीला इंटरप्राइजेज औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा पेपर ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० D-5 रकवा 5445 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनका उत्पाद बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 में निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।



निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

42. **सर्वश्री मनीष लघु उद्योग औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा सोया नगेट्स उद्योग की स्थापना हेतु शेड नं० C-1 रकवा 2250 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 61 अंक प्राप्त हुए, जो भूआवंटन हेतु निर्धारित न्यूनतम 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक प्रांगण मुजफ्फरपुर में शेड नं० C-1 रकवा 2250 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

43. **सर्वश्री सेन पैकेजिंग औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा प्लेन एवं कॉर्रुगेटेड कार्टन बॉक्स उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० Shed C-2 रकवा 2250 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। इनका उत्पाद बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 में निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

44. **सर्वश्री गोविंद इंटरप्राइजेज औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा बबल पुसअप कैप फॉर 20 ली० जार की स्थापना हेतु प्लॉट नं० C-7(Shed) रकवा 2250 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, इन्हें कुल 54 अंक प्राप्त हुए, जो आवंटन हेतु निर्धारित 60 अंकों से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

45. **सर्वश्री सेन मैन्यूफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग प्रा० लि० औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा की स्थापना हेतु Shed C-7 & C-8 रकवा 4500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 61 अंक प्राप्त हुए, जो भूआवंटन हेतु निर्धारित न्यूनतम 60 अंक से अधिक है।



निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक प्रांगण मुजफ्फरपुर में शेड नं० C-7 & C-8 रकवा 4500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा

46. **सर्वश्री सीड प्रोसेसिंग एंड अन्य औद्योगिक क्षेत्र, समस्तीपुर:-** इनके द्वारा की सीड प्रोसेसिंग एंड अन्य उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 4(P) रकवा 4356 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई। साथ ही इनकी परियोजना बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति 2016 के तहत प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

47. **सर्वश्री आजाद इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र, समस्तीपुर:-** इनके द्वारा ब्रेड, बिस्कुट एवं रस्क मैनुफैक्चरिंग उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 4(P) रकवा 4356 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 62 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र समस्तीपुर में प्लॉट नं० 4(P) रकवा 4356 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

48. **सर्वश्री परफेक्ट बाजार प्रा० लि० औद्योगिक क्षेत्र, पंडोल, मधुबनी:-** इनके द्वारा बेकरी प्रोडक्ट उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 71(P) रकवा 6534 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

49. **सर्वश्री श्रेयान इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र, पंडोल, मधुबनी:-** इनके द्वारा पैकेजिंग फॉर फूड प्रोडक्ट्स आईटम की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 68P रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है।



भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 58 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित अंक 60 से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

50. **सर्वश्री प्रकाश एग्रो इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी:-** इनके द्वारा एग्रीकल्चरल एवं एनवायरमेंटल क्लीनिंग इक्वीपमेंट उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 9 रकवा 17424 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई। यथा- ऑन-लाईन आवेदन में प्लांट मशीनरी की लागत ₹0 86.49 लाख दर्शाया गया है, जबकि अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन में प्लांट मशीनरी की लागत ₹0 65.58 लाख है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

51. **सर्वश्री सावरीया इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी:-** इनके द्वारा पी० भी०सी० कम्पाउण्ड उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 29(P) रकवा 8712 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनके द्वारा ऑन-लाईन आवेदन में Debt & Equity में शून्य अंकित किया गया है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

52. **सर्वश्री ग्रेन-थर्मो पावर प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी:-** इनके द्वारा फ्रुट जुस उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 140(P) & 141(P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 73 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र पंडौल में प्लॉट नं० 140(P) & 141(P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

53. **सर्वश्री कृष्णा पी०भी०सी० उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी:-** इनके द्वारा पी०भी०सी० पाईप उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 100(P) रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है।



भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 34 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित अंक 60 से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

54. **सर्वश्री एस०आर० ग्रुप, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:-** इनके द्वारा डीटरजेन्ट पाउडर उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-8(P) रकवा 2500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

55. **सर्वश्री माँ मनोकामना फुड्स, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:-** इनके द्वारा मखाना उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-39(P) रकवा 6534 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 65 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र दोनार में प्लॉट नं० B-39(P) रकवा 6534 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

56. **सर्वश्री सिंह फुड प्रोडक्ट्स औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:-** इनके द्वारा चुरा, मुढ़ी एवं सत्तू उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० C-3 (P) रकवा 4356 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 65 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र दोनार में प्लॉट नं० C-3(P) रकवा 4356 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

57. **सर्वश्री तुलसी फुड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:-** इनके द्वारा पोटेटो चिप्स, अन्य चिप्स एवं पापड़ उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-27(P) रकवा 7636 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन



किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 62 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र दोनार में प्लॉट नं० B-27(P) रकवा 7636 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

58. सर्वश्री भंडारी कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:- इनके द्वारा इन्फैमल थिनर उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-24(P II) रकवा 4000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनका उत्पाद बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 में निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

59. सर्वश्री सत्तु एंड बेसन, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा :- इनके द्वारा ग्राम एंड ग्राम पल्स उद्योग की स्थापना हेतु शेड नं० A-7, 11 & 12 रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनके द्वारा अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना, प्लांट मशीन, रोजगार आदि के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

60. सर्वश्री तुलसी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:- इनके द्वारा ब्रेड एवं रस्क उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० B-26 (P1) रकवा 13068 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 62 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र दोनार में प्लॉट नं० B-26(P1) रकवा 13068 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

61. दाल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:- इनके द्वारा दाल मिल की स्थापना हेतु शेड नं० A-7 & 8 रकवा 1500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनके द्वारा ऑन-लाईन आवेदन में भरी



गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचनाओं में काफी भिन्नता पाई गई है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

62. सर्वश्री कृष्णा फूड्स, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:- इनके द्वारा मखाना उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० A-29 (P) रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

63. सर्वश्री श्री श्याम फूड्स, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:- इनके द्वारा टोमैटो /चिली/सोया सॉस उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० A-29(P) रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

64. सर्वश्री पूनम एण्ड इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, धरमपुर, दरभंगा:- इनके द्वारा 20 ली० वाटर पेट जार उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 27(P) रकवा 4000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 62 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र धरमपुर में प्लॉट नं० 27(P) रकवा 4000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

65. सर्वश्री महावीर फूड इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, धरमपुर, दरभंगा:- इनके द्वारा बेकरी उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 26(P II) रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 61 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।



निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र धरमपुर में प्लॉट नं० 26(P II) रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर

66. सर्वश्री वेंकटेश्वर वर्क, औद्योगिक क्षेत्र, बरारी भागलपुर:- इनके द्वारा टेक्सटाइल प्रिन्टींग उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० D-13 (P) रकवा 12780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

67. सर्वश्री माँ इन्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र, बरारी भागलपुर:- इनके द्वारा उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० A-1 रकवा 6528 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनका नेटवर्थ परियोजना लागत के 20% से कम पाया गया, जो कि आवंटन हेतु निर्धारित पूर्व अहर्त्ता (Pre Qualification Criteria) को पूरा नहीं करता है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

68. सर्वश्री केशव उद्योग(फ्लॉर मिल यूनिट) औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज:- इनके द्वारा मैदा, सूजी, आटा एवं ब्रान उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 72, 73, 75, & 76 रकवा 108900 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 54 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित अंक 60 से कम है। साथ ही इनके परियोजना के अनुसार, इनके द्वारा मांगी गई भूमि अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

69. सर्वश्री प्रेस्टीज फूड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज :- इनके द्वारा ब्रेड एवं बिस्कुट उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 61A रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में इनके द्वारा परियोजना प्रतिवेदन, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, एम.ओ.ए. आदि अपलोड नहीं किया गया है।



निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

70. सर्वश्री ऐशियन स्पाईस एण्ड फूड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज:- इनके द्वारा स्पाईस पावर (मसाला यूनिट) उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 61 A रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 23 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित अंक 60 से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

71. सर्वश्री एस० एण्ड पी० एग्री इन्जीनियरिंग, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज :- इनके द्वारा जी० पी० स्टील बास्केट (आयरन तसला/ स्पेड कुदाल) छेनी, हैमर एवं अन्य एग्रीकल्चरल ईक्विपमेंट उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 60(P) रकवा 700 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 63 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित 60 अंक से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र फॉरबिसगंज में प्लॉट नं० 60(P) रकवा 700 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

72. सर्वश्री माँ तारा मखाना उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज:- इनके द्वारा मखाना उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 61A रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

73. सर्वश्री गणपती मखाना एवं फिंगर उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज:- इनके द्वारा रोस्टेड मखाना, फिंगर चिप्स, कटींग चिप्स, बेबी चिप्स उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 61A रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 23 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित अंक 60 से कम है।



निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

74. **सर्वश्री मगध प्राइवेट आई०टी०आई०, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर:-** इनके द्वारा ट्रेनिंग इस्टीच्यूट की स्थापना हेतु प्लॉट नं० A-14 & A-15 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनका आवेदन सर्विस सेक्टर के लिए है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

75. **सर्वश्री महावीर स्टील, औद्योगिक क्षेत्र, लक्खीसराय:-** इनके द्वारा ब्लैक नेल एण्ड वायर उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० C-12 रकवा 1750 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। इनके द्वारा अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना, प्लांट मशीनरी, नियोजन आदि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

76. **सर्वश्री क्लासिक बेकरी औद्योगिक क्षेत्र, मरंगा पूर्णिया:-** इनके द्वारा फैमिली पैक ब्रेड मीनी पैक ब्रेड, टी टाइम रस्क, क्लासीक कुकीज उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 6(P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 29 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित अंक 60 से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

77. **सर्वश्री सुगना फूड्स प्रा० लि० औद्योगिक क्षेत्र, मरंगा पूर्णिया:-** इनके द्वारा पॉल्ट्री फीड पैलेटस उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 18A रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। भूआवंटन नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार इन्हें कुल 61 अंक प्राप्त हुए जो भूआवंटन हेतु निर्धारित अंक 60 से अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र मरंगा में प्लॉट नं० 18A रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।



78. सर्वश्री महादेव मेटल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, मंरगा पूर्णिया:- इनके द्वारा मेटल गुडस उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट नं० 1 (P) Part-2 रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन किया गया है। ऑन-लाईन आवेदन में दी गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए परियोजना प्रतिवेदन की सूचना में काफी भिन्नता पाई गई।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

समिति के उपरोक्त निर्णय से खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक एवं टेक्सटाईल तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कुल 18 इकाईयों को 4.96 एकड़ भूमि आवंटित हुई है। इससे राज्य में कुल ₹0 9949.47 लाख का निवेश होगा एवं प्रत्यक्ष रूप से 607 लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-
अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स
एंड इण्ड०, पटना के
प्रतिनिधि।

ह०/-
अध्यक्ष
बिहार इण्ड० एसोसिएशन,
पटना के प्रतिनिधि।

ह०/-
अध्यक्ष
सी.आई.आई., पटना।

ह०/-
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण
पर्षद, पटना के प्रतिनिधि।

ह०/-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार, उद्योग
वित्त विभाग के
प्रतिनिधि।

ह०/-
उप उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशक, पटना के
प्रतिनिधि।

ह०/-
कार्यकारी निदेशक
बियाडा, दरभंगा/भागलपुर।

ह०/-
कार्यकारी निदेशक
बियाडा, पटना/मुजफ्फरपुर।


ह०/-
प्रबंध निदेशक
बियाडा, पटना।

ज्ञापांक... 4858/0

/ 12/Dev/BIADA/17

दिनांक... 25/10/17

प्रतिलिपि: - पी०सी०सी० के सभी सदस्य/आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा/ प्रभारी, प्र० नि० कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/10/17
कार्यकारी निदेशक।